

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

मुकदमा
06/2017

किस्म मुकदमा
धारा 91 एल.आर.एक्ट

रज्जु दिनांक
07.02.2017

निर्णय दिनांक
30.01.2018


उनवान सरकार बनाम श्री रजॉक खा पुत्र श्री बरकत खॉ जाति धोबी
निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

:- निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी उपस्थित नही। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का बुहाना ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम बुहाना के ख0 न0 2816/2321 कुल रकबा 109.8934 है0 किस्म गै0 मु0 बणी में से 0.04 है0 भूमि पर अतिक्रमी श्री रजॉक खा पुत्र श्री बरकत खॉ जाति धोबी निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0) ने अवैध रूप से आवासीय मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया नोटिस की प्रति अतिक्रमि के पुत्रे ने प्राप्त किया। साक्ष्य/सबुत में नोटिस जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी धोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।


तहसीलदार - बुहाना
जिला - झुन्झुनू (राज.)